भावी देवी | सुरता आदि मु.न. 14/99

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व त फर्द सहका हुक्म की त जारी हु
7.2.18	आज पत्रावली वादिया द्वारा परिये वकील प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर पेश में लेकर प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय अपील द्वारा रिमाण्ड होकर आने पर पेश में लिया गया। उच्च न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद में विपक्षियों के पक्ष में एवं उच्च अपील अदालत के निर्णय क्रमांक 151/12 को 30/10/13 के द्वारा अपास्त कर प्रकरण के रिमाण्ड किया गया है। वादिया के परिये वकील द्वारा पत्र प्रस्तुत कर वाद को विड्रा किये जाने हेतु निवेदन किया है अतः प्रार्थना-पत्र परिये वकील की मददगारी कार्यवाही के प्रस्तुत होने पर प्रार्थना विड्रा हेतु स्वीकार किया जाता है अतः वादिया वादिया विड्रा किये जाने के कारण वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली अभिलेख दुरुस्त होकर दफ्तर हो।	अदि भावी देवी प्रार्थना